चित्तौडगढ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. चित्तौडगढ

प्रधान कार्यालय, चित्तौडगढ (राज)

कार्यालय दूरभाष :– (01472) 250131, 246031, 247401, 249031
फैक्स :– (01472) 241401
ई–मेल :– cksbchittor@gmail.com
अध्यक्ष :– मो. 9414734802
प्रबंध निदेशक :– मो. 9413312500

अध्यक्ष

श्री चन्द्रभान सिंह ' आक्या ' :– 01.04.2014 से 22.10.2014

प्रशासक

श्री वेद प्रकाश (जिला कलक्टर) :– 22.10.2014 से 07.10.2015

अध्यक्ष

श्री लक्ष्मण सिंह खोर :– 07.10.2015 से लगातार

प्रबंध निदेशक

श्री पी.पी. सिंह :– उप रजिस्ट्रार (13.06.2013 से 20.06.2014तक)
श्री केदारनारायण शर्मा :– सहायक रजिस्ट्रार(20.06.2014 से 18.10.2014 तक)
श्री राधेश्याम आमेरिया :– सहायक रजिस्ट्रार (18.10.2014 से 20.10.2014 तक)
श्री राजीव लोचन शर्मा :– उप रजिस्ट्रार (20.10.2014 से 17.06.2015 तक)
श्री आलोक चौधरी :– उप रजिस्ट्रार (17.06.2015 से लगातार)

अंकेक्षण कर्ता

आर.के. भण्डारी एण्ड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स, भीलवाडा
सिटी टॉवर गांधी बाजार, भीलवाडा :– 311001

चित्तौडगढ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. चित्तौडगढ
41वां वार्षिक प्रतिवेदन

सम्मानित सदस्य महानुभावों,

बैंक की 41वीं वार्षिक साधारण आमसभा के सुअवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सर्वप्रथम सांविधिक अंकेक्षण फर्म मैसर्स आर.के. भण्डारी एण्ड एसोसिएट्स, भीलवाडा व बैंक के अधिकारियों/कर्मचारियों का साधुवाद, जिनके अथक प्रयासों से वित्तीय आंकडे तैयार किये गये।

वर्ष 2014–15 बैंक के कम्प्यूटरीकरण के कार्य के पूर्ण होने का साक्षी रहा है, जिसके साथ ही बैंक, केन्द्र सरकार व राज्य सरकार की कई जन–कल्याणकारी योजनाओं से आमजन को सीधे जोडने का एक सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। कोर बैंकिंग सुविधा प्रदान कर पाने की उपलब्धि हासिल करने से बैंक अन्य वाणिज्यिक बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिये तैयार है।

राज्य सरकार की प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवा सहकारी समिति स्थापित किये जाने की मंशानुरूप विगत वर्ष में बैंक कार्यक्षेत्र में 22 नई समितियों का गठन किया गया है, यह प्रक्रिया निरन्तर जारी रखी जावेगी।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अमानतों का स्तर 590 करोड रू. अर्जित कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है।

प्रकृति की मार झेल रहे किसानों को फसल खराबे की 249 करोड रू की मुआवजा राशि का वितरण करने में बैंक व बैंक कार्यक्षेत्र की समस्त ग्राम सेवा सहकारी समितियों ने महती भूमिका का निर्वहन किया है।

बैंक अपने सदस्यों व जमाधारकों को विभिन्न प्रकार की बीमा योजनाओं यथा दुर्घटना बीमा, सहकार जीवन सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, प्रधान मंत्री जीवन सुरक्षा बीमा आदि के माध्यम से लाभान्वित कर रहा है।

वर्ष 2014–15 में अल्पकालीन फसली ऋण वितरण कार्यक्रम के लक्ष्यों के विरूद्व 100.24 प्रतिशत ऋण ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से वितरित किया गया है। बैंक द्वारा इस सहकार वर्ष में अपनी वार्षिक मांग 92016.83 लाख रू के विरूद्व 84123.62 लाख रू की वसूली की गई है, जो कुल मांग का 91.42 प्रतिशत है।

बैंक की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के शुभ अवसर पर तत्कालीन बैंक प्रशासक व जिला कलक्टर श्री वेदप्रकाश द्वारा बैंक की वेबसाईट www.ccbchittor.com का लोकार्पण किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में हिस्सा राशि मद में रू 600.18 लाख रू की राशि संग्रहित की गई है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कुल ऋण बकाया 5 अरब 71 लाख 93 हजार रू रहा है।

राज्य सरकार एवं समग्र सहकारी विकास परियोजना द्वारा प्रदत वित्तीय सहायता से विगत 2–3 वर्षो में समितियों की भण्डारण क्षमता में इजाफा करने के लिए लगभग 150 गोदामों का निर्माण कराया गया है।

लगभग एक वर्ष के अन्तराल के पश्चात् माह अक्टूबर 2015 में बैंक के संचालक मण्डल सदस्यों का निर्वाचन हुआ है, जिसमें आप सभी सदस्य महानुभावों की सक्रिय भागीदारी की हम सराहना करते हैं व निर्वाचित संचालक मण्डल सदस्यों के रूप में आमजन व बैंक की तत्परता से सेवा करने की निश्चित रूप से मंशा रखते है।

वर्तमान में 152 की स्वीकृत स्टॉफ स्ट्रेन्थ के विरूद्व 99 कार्मिकों के कार्यरत होने के उपरान्त भी बैंक का प्रत्येक कर्मचारी ग्राहको से सद्व्यवहार करते हुए मधुर संबंध बनाये हुए है, जो कि वर्षो से केन्द्रीय सहकारी बैंक की पहचान रहा है। इस हेतु मै समस्त बैंक परिवार को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। साथ ही राजस्थान सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, शीर्ष सहकारी बैंक, सहकारिता विभाग व जिला प्रशासन का सहयोग भी सराहनीय रहा है, जिसके कारण ही बैंक अपने वर्तमान स्वरूप में विधमान है।

। जय सहकार।

लक्ष्मण सिंह खोर
अध्यक्ष
चित्तौडगढ केन्द्रीय सहकारी बैंक

प्रधान कार्यालयः चित्तौडगढ

कार्यालय दूरभाष (01472) 246031, 250131, 247401, 249031
फैक्स : 01472–241401

अध्यक्ष (बैंक) 01472–244588, मो. 9414734802
प्रबंध निदेशक मो. 9413312500

कस	शाखा का नाम	कोड नं.	फोन नं.	E mail	(रू. लाखों में) 31.03.2015	
					जमाएँ	ऋण बकाया
1.	चित्तौडगढ (मुख्य)	01472	246131	cksbmain@gmail.com	10318.86	4253.18
2.	प्रतापगढ	01478	222034	cksbpratapgarh@gmail.com	5524.86	4555.72
3.	बेगूं	01474	230108	cksbbegun@gmail.com	2732.96	3640.48
4.	निम्बाहेडा	01477	220036	cksbnimbahera@gmail.com	11125.96	5254.51
5.	कपासन	01476	230221	cksbkapasan@gmail.com	3801.76	2110.99
6.	बडीसादडी	01473	264255	cksbbarisadri@gmail.com	2158.07	3085.85
7.	रावतभाटा	01475	233228	cksbrawatbhata@gmail.com	2238.20	3794.38
8.	छोटीसादडी	01473	262427	cksbchhotisadri@gmail.com	3131.07	2856.92
9.	गंगरार	01471	220234	cksbgangrar@gmail.com	2034.12	2713.76
10.	अरनोद	01479	242224	cksbarnod@gmail.com	1941.97	4213.29
11	डूंगला	01470	247229	cksbdungla@gmail.com	1069.98	2026.21
12	भदेसर	01470	243231	cksbbhadesar@gmail.com	1248.50	1821.35
13.	राशमी	01471	226321	cksbrashmi@gmail.com	1686.90	2785.44
14.	बस्सी	01472	225029	cksbbassi@gmail.com	1436.85	3019.20
15.	भूपालसागर	01476	224250	cksbbhopalsagar@gmail.com	1310.64	1136.30
16.	स्टेशन रोड चित्तौडगढ	01472	240909	cksbstation@gmail.com	4192.70	2137.58
17.	सायंकालीन चित्तौडगढ	01472	242474	cksbevening@gmail.com	2987.79	666.77
18	प्रधान कार्यालय चित्तौड	01472	246031	cksbchittor@gmail.com	17.59	0.00
				योग	**58958.78**	**50071.93**

चित्तौडगढ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. चित्तौडगढ

40वीं वार्षिक आम सभा की कार्यवाही

अनुपालना प्रतिवेदन

विषय संख्याः– 01

1	गत वार्षिक साधारण सभा दिनांक 23.09.2014 की कार्यवाही की पुष्टि करना	दिनांक 23.09.2014 को सम्पन्न आम सभा की कार्यवाही अनुपालना रिपोर्ट अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।
2	वर्ष 2013–14 के अंकेक्षित लाभ हानि खाता व संतुलन चित्र का अनुमोदन।	सर्वसम्मति से अनुमोदित।
3	वर्ष 2013–14 की ऑडिट रिपोर्ट में इंगित मुख्य बिन्दुओं/आक्षेपों की अनुपालना पर विचार।	सर्वसम्मति से अनुमोदित।
4	वर्ष 13–14 के लिये गत आमसभा दिनांक 23.09.2014 में अनुमोदित बजट के विरूद्ध किये गये व्यय की पुष्टि। वर्ष 2014–15 के लिये अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत बजट का अनुमोदन।	प्रबंध निदेशक बैंक द्वारा सदन के समक्ष वर्ष 2013–14 के स्वीकृत बजट एवम् बजट के विरूद्ध किये गये व्यय की जानकारी सदन के समक्ष रखी जिसकी सर्व सम्मति से पुष्टि करते हुये वर्ष 2014–15 के लिये संचालक मण्डल द्वारा स्वीकृत बजट का अनुमोदन किया गया।
5	राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 2003 के नियम 61 के तहत रजिस्ट्रार महोदय द्वारा वर्ष 2014–15 के लिये स्वीकृत अधिकतम ऋण साख सीमा रू0 1,40,000.00 लाख की पुष्टि ।	राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 2003 के नियम 61 के अन्तर्गत बैंक द्वारा छूट प्रदान करने हेतु निवेदन करने पर नियम 61 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, राजस्थान जयपुर के पत्रांक फा.48(42)सविरा/बैंक–2/बो.पा./2007 पार्ट 2 दिनांक 26.06.2014 से बैंक को ऋण व अमानत के रूप में बाह्य दायित्वों के निर्वहन के लिए वर्ष 2014–15 (दिनांक 01.07. 2014 से 30.06.2015) की अवधि के लिए रूपयें 1,40,000. 00 लाख की अधिकतम साख सीमा स्वीकृत की गई है, जिसकी पुष्टि सर्वसम्मति से की गई।
6	वर्ष 2013–14 की विकासोन्मुख कार्य योजनान्तर्गत अर्जित उपलब्धियों एवं वर्ष 2014–15 के एम.ओं.यू.की जानकारी।	प्रबंध निदेशक बैंक द्वारा सदन के समक्ष वर्ष 2013–14 की विकासोन्नमुख कार्य योजनान्तर्गत अर्जित उपलब्धियों एवं वर्ष 2014–15 के लिए तैयार एमओयू का पठन किया गया जिस पर विचार विमर्श कर सदन द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
7	अधिकतम हिस्सा पूंजी राशि को रू 3750.00 लाख तक बढाये जाने हेतु बैंक के उपनियम सं. 8 (प) में संशोधन पर विचार।	बैंक की अधिकृत हिस्सा पूंजी रू 3750.00 लाख तक बढाये जाने पर सदन में विचार कर बैंक के उपनियम सं 8(प) में संशोधन कराने की स्वीकृति सर्वसम्मति से प्रदान करते हुए उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, चित्तौडगढ के माध्यम से प्रस्ताव विभाग को प्रेषित किया गया जिसकी विभागीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।
8	वित्तीय वर्ष 2013–14 के लाभ–हानि खाते में समायोजित रिलिफ फण्ड स्कीम भारत सरकार 25 प्रतिशत व कृषि ऋण माफी व राहत योजना की राशि की पुष्टि।	वित्तीय वर्ष 2013–14 के लाभ–हानि खाते में समायोजित रिलिफ फण्ड स्कीम भारत सरकार 25 प्रतिशत व कृषि ऋण माफी व राहत योजना सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।

9. अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से :–

आम सभा के पूर्व निर्धारित एजेण्डा के बिन्दुओं पर विचार विमर्श एवं उचित निर्णय के उपरांत अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों से बैंक हित में प्रस्ताव आमंत्रित किये, जिसके अन्तर्गत निम्नानुसार प्रस्ताव प्राप्त हुऐ।

01	नये सदस्यों को ऋण वितरण करने पर विचारः– श्री भीम सिंह झाला, अध्यक्ष ताणा ग्राम सेवा सहकारी समिति ने नये सदस्यों को अल्पकालीन फसली ऋण वितरण किये जाने के संबंध में सदन के समक्ष प्रस्ताव रखा। जिसके संबंध में बैंक के प्रबंध निदेशक द्वारा अवगत कराया कि शीर्ष बैंक द्वारा बैंक को वर्ष 2014–15 में अल्पकालीन ऋण वितरण हेतु कुल 710.00 करोड रू के लक्ष्य आवंटित किये गये जिसके विरूद्व खरीफ 2014–15 में लगभग 493.00 करोड रू का ऋण वितरण किया जा चुका है, शेष लक्ष्य रबी 2014–15 में वितरीत कर दिये जायेगें। जहां तक नये सदस्यों का ऋण वितरण का प्रश्न है चूंकि शीर्ष बैंक द्वारा वर्ष 2013–14 के बराबर ही लक्ष्य आवंटित किये गये है इसलिए नये सदस्यों को ऋण वितरण किया जाना बैंक के लिए संभव नही हो सकेगा, इस पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को आश्वस्त किया कि सदन के भावना के अनुरूप पुनः राज्य सरकार एवं शीर्ष बैंक को लक्ष्य बढाने हेतु निवेदन किया जावेगा, और नये सदस्यों को भी ऋण वितरण करने का प्रयास किया जावेगा।	पत्र क्रमांक 1122 दिनांक 13.12.2014 द्वारा शीर्ष बैंक एवं राज्य सरकार को पत्र प्रेषित किया गया।खरीफ में 11103 नये सदस्यों को ऋण वितरण किया जा चुका है। संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 15.10.2015 में लिये गये निर्णय के अनुसार प्रत्येक ऐसी ग्राम सेवा सहकारी समिति जिनका तातारीख ऑडिट पूर्ण है, से बीस नये सदस्यों को लगभग बीस हजार रू तक का ऋण वितरण किया जाये।
02	1. अल्पकालीन फसली ऋण साख सीमा बढाने पर विचार :– श्री खुमान सिंह शक्तावत अध्यक्ष, गागरोल ग्राम सेवा सहकारी समिति ने सदन में प्रस्ताव रखा कि मध्यप्रदेश में शुन्य प्रतिशत ब्याज दर पर 3.00 लाख रू तक अल्पकालीन फसली ऋण किसानों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था का हवाला देते हुए कहा कि हमारें प्रदेश में भी ऐसी व्यवस्था लागू की जा सके, इस बाबत् आमसभा की और से राज्य सरकार को निवेदन किया जावें, जिस पर प्रबंध निदेशक द्वारा सदन की भावना के अनुरूप रजिस्ट्रार महोदय को निवेदन किये जाने का आश्वासन दिया गया। व्यवस्थापकों की स्क्रीनिंग के माध्यम से नियुक्ति का प्रश्न उठाने पर प्रबंध निदेशक ने अवगत कराया कि रजिस्ट्रार महोदय द्वारा स्क्रीनिंग पर वर्तमान में रोक लगा दी गई है, रोक हटते ही स्क्रीनिंग संबंधित कार्यवाही अमल में लाई जा सकेंगी। अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्थापकों की स्क्रीनिंग के माध्यम से नियुक्ति हेतु सदन की भावना को रजिस्ट्रार महोदय के समक्ष प्रस्तुत	इस संबंध में बैंक द्वारा पत्रांक 1686 दिनांक 24.11.2014 द्वारा राज्य सरकार को निवेदन किया गया तथा पुनः पत्र क्रमांक 3417 दिनांक 07.07.2015 के द्वारा निवेदन किया गया। व्यवस्थापकों की स्क्रिनिंग के माध्यम से नियुक्ति हेतु रजिस्ट्रार महोदय को बैंक पत्र क्रमांक 1689 दिनांक 24.11.2014 द्वारा निवेदन किया गया तथा पुनः पत्र क्रमांक 3416 दिनांक 07.07.2015 के द्वारा निवेदन किया गया एवं संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 15.10.2015 में भी स्क्रिनिंग के माध्यम से नियुक्ति में लगी रोक हटाने हेतु निवेदन करने का निर्णय लिया गया है।

	करने का आश्वासन दिया।	
03	1. वैधनाथन कमेटी की सिफारिशों के अन्तर्गत अ प्राप्त राशि के संबंध में विचार :– श्री भगवत सिंह अध्यक्ष चौथपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति ने वैधनाथन पुनरूद्धार पैकेज के अन्तर्गत समितियों की बकाया राशि मंगवाई जाने के संबंध में सदन के समक्ष प्रस्ताव रखा। जिस पर प्रबंध निदेशक ने अवगत कराया कि इस संबंध में पुनः नाबार्ड को पत्र लिखकर बकाया राशि प्राप्त किये जाने हेतु निवेदन किया जावेगा।	वैधनाथन पुनकद्वार पैकेज के अन्तर्गत समितियों की बकाया राशि के संबंध में नाबार्ड को पत्र क्रमांक 1684 दिनांक 24.11.2014 से निवेदन किया गया तथा पुनः पत्र क्रमांक 3409 दिनांक 06.07.2015 के द्वारा निवेदन किया गया।
04	1. गबन राशि वसूल करने पर विचार :– श्री तुलसीराम धाकड, अध्यक्ष बांगरेडाघाटा ग्राम सेवा सहकारी समिति ने समिति के पूर्व व्यवस्थापक द्वारा गबन की गई राशि की वसूली की कार्यवाही किये जाने की मांग सदन के समक्ष रखी, जिस पर अधिशाषी अधिकारी द्वारा कुर्की कर राशि वसूल किये जाने संबंधि कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।	श्री कन्हैयालाल धाकड पूर्व व्यवस्थापक के विरूद्व एफआईआर संख्या 53/2011 दिनांक 15.10.2011 को दर्ज कराई गई, तथा कृषि भूमि 0.86 हैक्टयेर को कुर्क कर निलामी की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।
05	1. समिति मुख्यालय पर अल्पकालीन फसली ऋण वितरण करने पर विचार :– श्री जीवन राम जैन अध्यक्ष जाजली लेम्पस ने समिति स्तर पर ही अल्पकालीन फसली ऋण वितरण की सुविधा मुहेया कराने की मांग रखी, जिस पर प्रबंध निदेशक ने लेम्प मुख्यावास पर ही भुगतान के संबंध में लेम्पस से मिनी बैंक खोले जाने के प्रस्ताव तैयार कर प्रधान कार्यालय भिजवाने हेतु कहा गया, ताकि इस संबंध में स्वीकृति जारी की जा सकें।	झांझली लेम्पस द्वारा मिनी बैंक प्रारंभ कर दिया गया है। अल्पकालीन ऋण वितरण हेतु समिति द्वारा प्रस्ताव पारित कर प्रधान कार्यालय आज दिनांक तक नही भिजवाया गया है, जिसके अभाव में ऋण वितरण समिति स्तर से किये जाने के संबंध में स्वीकृति जारी नही की जा सकती है।
06	1. श्री देवीलाल जणवा अध्यक्ष भाणुजा ग्राम सेवा सहकारी समिति ने समितियों के ऋण खातों पर बैंक द्वारा लगाये जा रहे ब्याज के संबंध में प्रश्न उठाया जिस पर प्रबंध निदेशक द्वारा बताया कि बैंक द्वारा सबसे पहले अवधिपार खाते पर ब्याज, मूल वसूल किया जाता है, तत्पश्चात् ड्यू खातों पर ब्याज व मूल वसूल किया जाता है। समिति संचालक मण्डल सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की मांग भी समिति अध्यक्ष द्वारा की गई जिस पर महाप्रबंधक आईसीडीपी ने अवगत कराया कि इस प्रकार के प्रशिक्षण बेगूं भूपालसागर, राशमी, कपासन आदि शाखा क्षेत्रों में आयोजित किये जा चुके है व शेष शाखाओं हेतु शीघ्र ही कार्यक्रम जारी कर दिया जावेगा।	बडीसादडी, गंगरार, भदेसर, निम्बाहेडा, बस्सी में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए है।
07	1. समिति में हुए गबन एवं दुरूपयोग की राशि अलग रखने पर विचार :– श्री सत्यनारायण शर्मा, अध्यक्ष मानपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति ने सदन को अवगत कराया कि मानपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति ने काफी	नये सदस्यों द्वारा जमा कराई जा रही ऋण राशि नये खातों में ही ली जा रही है।

	वर्षो पहले तत्कालीन व्यवस्थापक द्वारा राशि का गबन एवं दुरूपयोग किया गया, जिसके कारण समिति कई वर्षो तक बंद रही उसके बाद समिति को पुनः चालू किया जाकर ऋण वितरण एवं वसूली का कार्य प्रारंभ किया गया, किंतु बैंक द्वारा पूर्व के अवधिपार ऋण की वसूली चालू ऋण की वसूली से की जा रही है, जिससे समिति में अंतर बढता जा रहा है। इसको रोकने के लिए या तो दोषी कर्मचारी से राशि वसूल की जाए या गबन दुरूपयोग की राशि को अलग रखा जाकर संबंधित से वसूली होने पर ही उस राशि की वसूली की जाये। इस संबंध में प्रबंध निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि नियमों के प्रावधानों का अध्ययन कर उचित कार्यवाही की जावेगी।	
8	1. श्री लछमीलाल निनामा ने पूर्व बैंक स.अ.अ. स्व.श्री नागूलाल मीणा के पुत्र अजात शत्रु को अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिये जाने संबंधी जानकारी मांगी, जिस पर प्रबंध निदेशक ने बताया कि रजिस्ट्रार महोदय, जयपुर को उनके नियुक्ति की जाने संबंधि पत्र प्रेषित किया जा चुका है, स्वीकृति प्राप्त होते ही नियुक्ति की कार्यवाही कर दी जावेगी। 2.	रजिस्ट्रार कार्यालय से प्राप्त पत्र क्रमांक फा.15 (10) सविरा /बैंक–02/2011 दिनांक 06.01.2015 के अनुसार नियुक्ति हेतु शिथिलन दिया जाना संभव नही है।
9	1. प्रतापगढ जिले में नये सहकारी बैंक के गठन पर विचार :– श्री गुणवन्त शर्मा, अध्यक्ष कुलमीपुरा लेम्पस ने प्रतापगढ जिले में नये केन्द्रीय सहकारी बैंक की स्थापना की मांग सदन में रखी। जिस पर प्रबंध निदेशक ने बताया कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में विभाग द्वारा प्रदत निर्देशों की अनुपालना में सर्वे कराया जाकर रिपोर्ट रजिस्ट्रार महोदय को शीघ्र ही प्रेषित की जाएगी।	शीर्ष बैंक के सहायक महाप्रबंधक आरपी बैरवा द्वारा सर्वे किया गया।
10	1. संविदाकर्मियों के मानदेय बढाने पर विचार :– श्री अशोक चण्डालिया अध्यक्ष कपासन उपभोक्ता भण्डार ने बैंक में कार्यरत संविदा कर्मियों के संबंध में एवं बैंक द्वारा दिये गये आयकर के संबंध में जानकारी चाही जिस पर प्रबंध निदेशक बैंक ने बताया कि बैंक द्वारा वर्ष 2013–14 में 57.00 लाख रू आयकर के रूप में दिया गया। इसी कडी में श्री चण्डालिया द्वारा सदन के समक्ष प्रस्ताव रखा की जब बैंक द्वारा आयकर दिया जा रहा है, तो बैंक में कार्यरत संविदाकर्मियों का मानदेय न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रावधानों से भी कम क्यों दिया जाता है, और इनका मानदेय बढाया जावें, जिस पर प्रबंध निदेशक ने अवगत कराया कि संविदाकर्मियों को रजिस्ट्रार महोदय के निर्देशों	रजिस्ट्रार महोदय द्वारा संशोधित दरों के संबंध में पत्र प्राप्त हो चुका है। संविदाकर्मियों के मानदेय बढाने के संबंध में निर्णय कर लिया गया है।

	अनुसार मानदेय का भुगतान किया जा रहा है, फिर भी सदन की भावना अनुरूप मानदेय बढाये जाने बाबत् रजिस्ट्रार महोदय को पत्र लिखकर निवेदन किया जावेगा एवं रजिस्ट्रार महोदय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावेगी।	
11	1. चित्तौडगढ मुख्य शाखा एवं सायंकालीन शाखा का पुनरूद्वार करने पर विचारः— श्री प्रवीण सिंह राठौड अध्यक्ष जालमपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति ने चित्तौडगढ मुख्य शाखा, मुख्य शाखा भवन के ऊपर स्थित मिटिंग हॉल, प्रधान कार्यालय के प्रथमतल पर स्थित अध्यक्ष कक्ष एवं सायंकालीन शाखा एवं मिटिंग हॉल को सुसज्जित कर अन्य वाणिज्यिक बैंकों के समकक्ष बनाये जाने का प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा, तथा दौनों भवनों के ऊपर की छत की पूर्ण मरम्मत कराई जाने की मांग की तथा वर्तमान में जो प्रधान कार्यालय का साज—सज्जा का कार्य चल रहा उसको उपरोक्त सभी कार्य पूर्ण होने तक निरंतर चालू रखने की मांग की, जिस पर सम्पूर्ण सदन द्वारा स्वीकृती प्रदान की तथा अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त सभी कार्य अतिशिघ्र पूर्ण किये जाने का आश्वासन दिया।	सायंकालिन शाखा का स्थान परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित है। एंव मुख्य शाखा के पुर्नद्धार कार्य एवं निर्वाचित संचालक मण्डल सदस्यों के निर्णय पश्चात् प्रारंभ कर दिया जाएगा।
12	1. भादसोडा में शाखा खोलने पर विचार :— श्री पुरणमल पूर्बिया अध्यक्ष भादसोडा ग्राम सेवा सहकारी समिति ने भादसोडा में बैंक शाखा खोले जाने बाबत् निवेदन किया जिस पर प्रबंध निदेशक ने बताया कि इस हेतु उपयुक्त प्रक्रिया अपना कर कार्यवाही की जावेगी, इसके साथ ही श्री पूर्बिया ने बैंक द्वारा अल्पकालीन फसली ऋण अग्रिम पर कृषक सदस्य की जमीन रहन नही होने से बैंक का ऋण बकाया रहते हुए भी सदस्य द्वारा जमीन बेचान की रजिस्ट्री करा दी जाती है, इससे बैंक की वसूली पर विपरीत प्रभाव होता है। अतः रजिस्ट्रार महोदय के माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन किया जावे कि रजिस्ट्री कराने से पूर्व समिति से नोड्यूज ऋणी सदस्य द्वारा लिये जाने के बाद ही रजिस्ट्री हो, इस संबंध में प्रबंध निदेशक महोदय द्वारा सदन की भावना को रजिस्ट्रार महोदय के समक्ष प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया।	पत्र कमांक 1685 दिनांक 24.11.2014 द्वारा रजिस्ट्रार महोदय को निवेदन किया गया तथा पुनः पत्र कमांक 3407 दिनांक 03.07.2015 के द्वारा निवेदन किया गया।

13	1. सहकारी संस्थाओं के संचालकों एवं कार्मिकों के प्रशिक्षण पर विचार :— श्री आई.एम.सेठिया अध्यक्ष चित्तौडगढ अरबन को—ऑपरेटिव बैंक ने सहकारी संस्थाओं के कर्मचारियों एवं संचालक मण्डल सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला स्तर पर आयोजित करने का प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा। जिस पर प्रबंध निदेशक ने बताया कि सहकारी संस्थाओं के प्रशिक्षण राईसेम, आईसीएम द्वारा आयोजित किये जाते है। चर्चा में भाग लेते हुए बैंक के अध्यक्ष महोदय ने आश्वासन दिया कि आईसीडीपी के अन्तर्गत जिला स्तर पर ही प्रशिक्षण कार्यक्रम रखने पर विचार किया जावेगा।	आईसीडीपी द्वारा 11.09.2015 को कार्मिकों एवं सदस्यों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला स्तर पर आयोजित किया जा चुका है एवं यह प्रकिया नित्रंण जारी रखी जावेगी।
14	1. अल्पकालीन फसली ऋण की देय तिथि के परिवर्तन करने पर विचार :— श्री हेमराज भोई अध्यक्ष गिलुण्ड ग्राम सेवा सहकारी समिति ने अल्पकालीन फसली ऋण वसूली की देय तिथि 31 मार्च के स्थान पर 31 अप्रैल रखे जाने का प्रस्ताव सदन के समक्ष रखते हुए कहां कि 31 मार्च तक फसल तैयार नही होती है इसलिए काश्तकार समय पर ऋण चुकाने में कठिनाई महसूस करता है, जिस पर प्रबंध निदेशक ने सदन की भावना अनुरूप रजिस्ट्रार महोदय को निवेदन किये जाने का आश्वासन दिया।	बैंक पत्रांक 1698 दिनांक 24.11.2014 द्वारा रजिस्ट्रार महोदय से निवेदन किया गया तथा पुनः पत्र कमांक 3406 दिनांक 03.07. 2015 के द्वारा निवेदन किया गया।
15	1. दलोट में शाखा खोलने पर विचार :— श्री नरेन्द्र सिंह अध्यक्ष अमीरामा लेम्पस ने बैंक की दलोट में शाखा खोलने बाबत् निवेदन किया जिस पर प्रबंध निदेशक ने बताया कि उक्त शाखा खोलने का प्रस्ताव रजिस्ट्रार महोदय को भेजा जा चुका है, स्वीकृति प्राप्त होते ही शाखा खोले जाने की कार्यवाही शुरू कर दी जावेगी।	स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है व शाखा संचालित कराने की कार्यवाही शुरू हो चुकी है।
16	1. वित्तीय वर्ष 2014—15 हेतु साविंधिक अंकेक्षक की नियुक्ति पर विचार :— प्रबंध निदेशक ने सदन को अवगत कराया कि वित्तीय वर्ष 2014—15 हेतु साविंधिक अंकेक्षक की नियुक्ति सदन द्वारा की जानी है। इसके संबंध में विचार विमर्श कर बैंक अध्यक्ष एवं बैंक प्रबंध निदेशक को नाबार्ड द्वारा सुझावित पैनल में से अंकेक्षक की नियुक्ति करने के लिए अधिकृत किया गया।	नाबार्ड द्वारा एवं रजिस्ट्रार महोदय के परिपत्रानुसार फर्म आरके भण्डारी एण्ड एसोसिएट भीलवाडा को 2014—15 हेतु बैंक को सांवधिक अंकेक्षण नियुक्त किया गया जिसके द्वारा अंकेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है।
17	बैंक के कार्मिकों को दीपावली पर्व पर बोनस/एक्सग्रेसियां दिये जाने पर विचार :— बैंक के प्रबंध निदेशक द्वारा सदन को अवगत कराया कि बैंक की प्रगति में बैंक के कार्मिकों का अहम योगदान है और इनके परिश्रम एवं प्रयासों से ही बैंक आज स्थिति में है इसलिए कार्मिकों को प्रोत्साहित करने हेतु विगत वर्षो की भॉति ही दीपावली पर्व पर बैंक कार्मिकों को एक्सग्रेसियां राशि का भुगतान किया जाना उचित होगा, इस पर सदन में विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से बैंक कार्मिकों को बोनस/एक्सग्रेसियां दिये जाने की स्वीकृति दी गई।	स्वीकृति पश्चात् भुगतान किया गया है।
18	1. बैंक में विभिन्न कार्यो पर हुए व्यय की पुष्टि पर	पुष्टि की गई ।

	विचार :– प्रबंध निदेशक बैंक ने सदन को बैंक में हुए निम्नानुसार व्यय से अवगत कराते हुए उक्त व्यय की सदन से पुष्टि चाही, जो व्यय हुए है उनकी विवरण निम्न प्रकार है। 1. प्रधान कार्यालय भवन की आंतरिक साज–सज्जा पर हुए व्यय 18.46 लाख रू 2. गंगरार शाखा भवन निर्माण पर हुए व्यय 62.63 लाख रू एवं शाखा हेतु फर्नीचर क्रय पर हुए 8.28 लाख रू 3. भदेसर शाखा भवन हेतु फर्नीचर/फिक्चर पर हुए 3.33 लाख रू का व्यय 4. बडीसादडी शाखा भवन निर्माण पर हुए व्यय 28.26 लाख रू एवं शाखा हेतु फर्नीचर क्रय पर हुए 4.99 लाख रू के व्यय	
19	1. शाखा निम्बाहेडा में मरम्मत, बाउण्ड्रीवाल एवं काउंटर निर्माण की स्वीकृति पर विचारः– 2. प्रबंध निदेशक बैंक द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि निम्बाहेडा शाखा भवन में मरम्मत हेतु राशि 1.92 लाख रू व्यय हुई है जिसकी पुष्टि सदन से अपेक्षित है इसी तरह निम्बाहेडा शाखा की बाउण्ड्रीवाल, प्लास्तर एवं कलर पेंट पर हुए व्यय 196300 रू के भुगतान की स्वीकृति एवं नये काउंटर निर्माण हेतु राशि 1.80 लाख रू व्यय किये जाने की स्वीकृति सदन से अपेक्षित है। जिस पर विचार विमर्श कर एवं पुर्ण खर्चो की विगत की जानकारी सदन को दिये जाने के उपरांत 1.92 लाख रू भुगतान की पुष्टि की गई एवं बकाया 196300 रू भुगतान की स्वीकृति व काउंटर निर्माण की स्वीकृति सर्वसम्मति से दी गई।	स्वीकृति पश्चात् किए गए व्यय की पुष्टि की गई।
20	बैंक में 60 संविदाकर्मी रखे जाने एवं उन पर हुए व्यय की पुष्टि पर विचार :– प्रबंध निदेशक बैंक द्वारा अवगत कराया गया कि बैंक में नियमित कार्मिकों के पद रिक्त होने के कारण बैंक का कार्य सुचारू रूप से संचालित करने के लिए बैंक में आउटर्सोसिंग के जरिये कुल 60 कार्मिकों की सेवाऐं संविदा पर ली जारही है। इस पर विचार विमर्श कर सदन के द्वारा बैंक में आउटर्सोसिंग के जरिये ली गई सेवाओं एवं उन पर हुए व्यय की पुष्टि सर्वसम्मति से की गई।	60 कार्मिकों रखे जाने एवं उन पर हुए व्यय की पुष्टि
21	1. साधारण आमसभा के आयोजन में हुए व्यय की पुष्टि पर विचार :– 2. बैंक के प्रबंध निदेशक द्वारा सदन को अवगत कराया कि साधारण आम सभा में संचालक	साधारण आमसभा के आयोजन में हुए व्यय की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।

	मण्डल के 05 वर्ष पूर्ण होने पर बैंक द्वारा प्राप्त उपलब्धियों के प्रचार–प्रसार हेतु विज्ञापन पर अनुमानित राशि 3.50 लाख रू, वार्षिक प्रतिवेदन, फ्लैक्स निर्माण इत्यादि पर राशि 50 हजार रू, माननीय सदस्यों को उपहार पर राशि 3.50 लाख रू एवं भोजन पर राशि 60 हजार रू व अन्य आयोजन खर्च लगभग 60 हजार रू आदि अनुमानित है, जिसकी स्वीकृति सदन से अपेक्षित है। जिस पर विचार विमर्श कर उक्तानुसार खर्चो की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।	

विषय संख्या :– 02
अंकेक्षित लाभ–हानि खाता
व संतुलन चित्र वर्ष 2014–15

चित्तौडगढ केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, चित्तौडगढ
लाभ–हानि खाता (01.04.2014 से 31.03.2015 तक)

गत वर्ष 31.03.14	व्यय विवरण	चालू वर्ष 31.03.2015	गत वर्ष 31.03.14	आय विवरण	चालू वर्ष 31.03. 2015
55,06,40,127.19	1. ब्याज अमानतों व उधारों पर	59,50,09,802.67	659535671.74	1. ब्याज एवं बट्टा	719312165.70
7,01,18,404.28	2. वेतन अन्य भत्ते एवं भविष्य	6,91,91,956.78	2856133.15	2. कमीशन दलाली आदि	911411.14
	सुरक्षा निधि		2987795.00	3. अन्य आय	7759189.50
2,59,963.00	3. संचालकों एवं स्थानीय कमेटी	34,737.00			
	के सदस्यों की फीस एवं भत्ते				
88,29,664.30	4. किराया, कर, बीमा, तथा पानी व रोशनी खर्च	1,00,35,007.70			
3,86,263.75	5. कानूनी परामर्श व्यय	2,96,086.00			
7,99,261.97	6. डाक, तार एवं टेलीफोन खर्च	7,96,399.00			
1,48,102.00	7. अंकेक्षण शुल्क	1,05,371.00			
72,45,694.55	8. बैंक की सम्पत्तियों पर घिसाई	83,20,606.73			
	व मरम्मत				
19,37,554.51	9. स्टेशनरी की छपाई व विज्ञापन खर्च	8,86,626.50			
	10. प्रावधान (संदिग्ध व अशोध्य ऋण रिजर्व)				
25,00,000.00	(1) मानक अस्तियों के विरूद्ध सामान्य प्रावधान	25,00,000.00			
	(2) कोर्पस फण्ड				
	(3) समिति व्यवस्थापक वेतन सुरक्षा कोष				
	(4) संदिग्ध व अशोध्य ऋण रिजर्व	25,00,000.00			
41,00,000.00	(5) अवधिपार ब्याज कोष	50,00,000.00			
	(6) हिस्सा राशि विनियोजन रिजर्व				
57,00,000.00	(7) इन्कम टेक्स पेयबल	1,48,70,000.00			

19,11,713.00	11. पैक्स डवल्पमेन्ट फण्ड	39,76,365.00			
58,46,659.78	12. अन्य खर्च	76,93,075.91			
49,56,191.56	13. शुद्ध लाभ	67,66,732.05			
665379599.89	**योग**	**727982766.34**	**665379599.89**		**727982766.34**

(आर.के.भण्डारी)
अंकेक्षक
आर. के. भण्डारी एण्ड एसोसिऐट्स
चार्टेड एकाउन्टेंट

(पारस कुमार जैन)
प्रबंधक (प्रशा.)

(आलोक चौधरी)
प्रबंध निदेशक

(वेदप्रकाश)
प्रशासक एवं जिला कलक्टर

चित्तौडगढ केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, चित्तौडगढ

गत वर्ष 31.03.14	पूंजी एवं दंनदारियां	चालू वर्ष 31.03.2015		गत वर्ष 31.03.14	सम्पत्ति एवं लेनदारियां	चालू वर्ष 31.03.2015	
	(1.)अंश पूंजी				1. नकद		**918635139.86**
	(क) अधिकृत अंश पूंजी						
	(1) 'अ' श्रेणी के6000 हिस्से प्रति			120774697.00	प्रधान कार्यालय एवं शाखाओं में	200341695.00	
	हिस्सा राशि 10,000/– की दर से	60000000.00			तथा भारतीय रिजर्व बैंक/स्टेट बैंक ऑफ		
	(2) ''ब'' श्रेणी के 35,000/– हिस्से प्रति				इण्डिया/शीर्ष सह./केन्द्रीय सह. बैंक		
	हिस्सा राशि 9.000/– की दर से	315000000.00		387108292.04	(कं) नोटिफाईड़ बैक्स के चालू खाते में	718293444.86	
	(ख) अभिदत्त एवं प्रदत अंश पूंजी		**300368600.00**		2. अन्य बैंको में जमा		**261814779.59**
21978000.00	राज्य सरकार	21978000.00		113941259.52	(क) चालू खाते में	219178103.28	
187699600.00	सहकारी समितियां	278390600.00		-	(ख) पोस्ट आफिस के बचत खाते में	-	

				19460624.46	(ग) चालू खाता–शीर्ष सहकारी	37000000.00	
	(2)रक्षित एवं अन्य निधियां		**597281947.35**	-	बैंक, उदयपुर	-	
36095147.10	(1) रक्षित निधि	36095147.10		-	(घ) चालू खाता–शीर्ष बैंक, जयपुर	56,36,676.31	
13786532.00	(2) कृषि साख स्थिरीकरण निधि	13786532.00					
5424819.23	(3) भवन निधि	5424819.23			3. स्वल्पावधि जमा		**14,00,00,000.00**
5424506.33	(4) लाभांश समानीकरण निधि	5424506.33		-	(क) शीर्ष सहकारी बैंक	14,00,00,000.00	
9045789.00	(5) विशेष डूबत ऋण कोष	9045789.00		-	(ख) नोटिफाईड़ बैंक	-	
48700000.00	(6) संदिग्ध एवं डूबत ऋण कोष	51200000.00		-	(ग) अन्य बैंकों में	-	
121815.80	(7) कम्प्यूटर सब्सिड़ी	0.00					
	8 अन्य कोष				4. मियादी जमा		**3376108932.10**
1598723.77	(क) सहकारी प्रचार व शिक्षा कोष	1598723.77		2930634502.10	(क) शीर्ष सहकारी बैंक	2745533590.10	
5424506.33	(ख) जनहितकारी कोष	5424506.33		280787105.00	(ख) नोटिफाईड़ बैंक	630575342.00	
38777688.00	(ग) ग्रेच्यूटी कोष (एल.आई.सी)	30407202.00		-	(ग) अन्य बैंकों में	-	
1762625.00	(घ) प्रवेश शुल्क	1832517.00					
375839752.56	**योग आगे ले जाया गया**		**897650547.35**	**3852706480.12**	**योग आगे ले जाया गया**		**4696558851.55**

संतुलन चित्र 31 मार्च 2015 वर्ष (2014–15)

गत वर्ष 31.03.14	पूंजी एवं दंनदारियां	चालू वर्ष 31.03.2015		गत वर्ष 31.03.14	सम्पत्ति एवं लेनदारियां	चालू वर्ष 31.03.2015	
375839752.56	**पिछला योग**		**897650547.35**	**3852706480.12**	**पिछला योग**		**4696558851.55**
925519.27	(ड़) रिस्क फण्ड़	925519.27			**5 विनियोग**		**522904777.78**
175618.34	(च) वाहन कोष	175618.34		-	(क) केन्द्रीय / राज्य सरकार	34,84,04,777.78	
1453217.88	(छ) रिजर्व फण्ड़ केडर ऑथोरिटी	1081697.88			सिक्योरिटी (बुकवेल्यू)		
5182705.02	(ज) रिजर्व फण्ड़ ए.आर.डी.आर.दावा	5182705.02					
104889.71	(झ) रिजर्व फण्ड़ गारन्टी कमीशन	0.00		-	(ख) अन्य ट्रस्टी सिक्योरिटीज़	-	
1000000.00	(य) रिजर्व फण्ड़ व्यवस्थापक समितियां के. पी. एफ. पर ब्याज	1000000.00			(नाबार्ड बॉण्ड़)		
	(र) रेवेल्युशन रिजर्व ऑन फिक्सड असेट	350747000.00		-	(ग) सहकारी संस्थाओं के हिस्से	-	
6351282.00	(ल) पेक्स डवलपमेन्ट फण्ड़	10277647.00			(केन्द्रीय सहकारी बैंक व प्राथमिक		
185000.00	(व) कोर्पस फण्ड	0.00		67300000.00	ऋणदात्री सह. समितियों के अतिरिक्त)	174500000.00	
8036000.00	(श) समिति व्यवस्थापक वेतन सुरक्षा कोष	8036000.00		-	(घ) अन्य विनियोग	-	
3170198.65	(ष) अनक्लेम्ड फंड	1355688.57		-	(1) अन्य हिस्से	-	
14624102.00	(ह) मानक अस्तियों के लिए (सामान्य प्रावधान)	17124102.00		-	(2) यू.टी.आई. बॉण्ड़	-	
5393000.00	(क्ष) अंतर शाखा समायोजन रिजर्व प्रा0	6196225.51		-	(3) एस.आई.डी.बी.आई बॉण्ड़	-	
20000.00	(त्र) विनियोजन में क्षरण रिजर्व	0.00		-	(4) आर.एफ.सी. बॉण्ड़	-	
7799229.00	आयकर के लिए प्रावधान	14919039.00		-	(5) किसान विकास पत्र	-	
21469674.00	लीव इन केशमेन्ट कोष (एल.आई.सी)	20020962.00					
	3. राज्य भागीदारी – मूल / सहायक				**6 राज्य सरकार द्वारा दिये गये**		
	पूंजी में विनियोग – हिस्सा राशि		**32538500.00**		**हिस्सा पूंजी अंशदान में से विनियोग**		**32538500.00**
-	(1) सहकारी बैंक्स	-			(क) केन्द्रीय सहकारी बैंक		
32538500.00	(2) सहकारी समितियां	32538500.00		32538500.00	(ख) प्राथ. कृषि ऋणदात्री सह. समितियां	32538500.00	
-	(3) अन्य समितियां	-			**7. ऋण व केश केडिट**		**5007193373.27**
	4. अमानतें व अन्य खातें		**5895877922.56**	4310252541.88	(क) अल्पकालीन ऋण केश केडिट	4007504546.14	

	(क) मियादी जमांए	**3858833931.47**			आवेर ड्राफ्ट व बिल्स डिस्काउन्टेड़ में से		
2227517867.57	(1) व्यक्तिगत	2520009751.08			जिसमें से व्यक्तिगत रू. 3186.58 लाख		
-	(2) केन्द्रीय सहकारी बैंक	-			अवधिपार रू. 6303ण्75 लाख		
1374232519.17	(3) सहकारी समितियां	1338824180.39			कन्सिडर्ड डूबत व संदिग्ध रू 29ण्06 लाख		
	(ख) बचत जमांए	**1193110377.43**					
982264944.81	(1) व्यक्तिगत	960279888.94					
-	(2) केन्द्रीय सहकारी बैंक	-					
536321504.12	(3) सहकारी समितियां	232830488.49					
5604605524.10	**योग आगे ले जाया गया**		**6826066969.91**	**8262797522.00**	**योग आगे ले जाया गया**		**10259195502.60**

वार्षिक प्रतिवेदन 2014–15

गत वर्ष 31.03.14	पूंजी एवं दंनदारियां	चालू वर्ष 31.03.2015		गत वर्ष 31.03.14	सम्पत्ति एवं लेनदारियां	चालू वर्ष 31.03.2015	
5604605524.10	पिछला योग		**6826066969.91**	**8262797522.00**	पिछला योग		**10259195502.60**
	(ग) चालू जमाएं	**843933613.66**		735167218.49	(ख) मध्यकालीन ऋण	847462003.72	
115265332.22	(1) व्यक्तिगत	772861350.08			जिसमें से व्यक्तिगत रू. 1882.15 लाख		
-	(2) केन्द्रीय सहकारी बैंक	-			अवधिपार रू. 566ण96 लाख		
44521009.29	(3) सहकारी समितियां	71072263.58			डूबत एवं संदिग्ध वसूली रू. 82.24 लाख		
	(घ) स्वल्पावधि	**0.00**		157313473.50	(ग) दीर्घकालीन ऋण	150857622.41	
0.00	(1) व्यक्तिगत	0.00			जिसमें से व्यक्तिगत रू. 1495ण09 लाख		
0.00	(2) सहकारी समितियां	0.00			अवधिपार रू. 156ण61 लाख		
					डूबत एवं संदिग्ध वसूली रू. 24.63 लाख		
	(ड़) अन्य साख (क्रेडिट बेलेन्स)			1717572.00	(घ) अवसायनातीत् ऋण	1369201.00	
	5. ऋण लिए हुए (उधार)				**8. प्राप्त होने योग्य ब्याज**		**319213571.93**
	भारतीय रिजर्व बैंक/शीर्ष सहकारी		**3848287246.66**	260164126.30	(क) ऋणों पर	301372170.04	
	केन्द्रीय सहकारी बैंक			-	(ख) विनियोग पर	64,24,888.89	
2614500000.00	**1. अल्पकालीन ऋण, नकद साख व**	2576100000.00		11416513.00	(ग) ए.आर.डी.आर.पर	11416513.00	
	अधिविकर्ष			-	(घ) मधकालीन परिर्वतन	-	
-	(क) राजकीय व अन्य स्वीकृत	-			इनमें से अवधि पार रू. 501.85 लाख		
	प्रतिभूतियों पर				**9. संगंहार्थ देने में दर्शाय हुए बिल**		
-	(ख) अन्य ठोस प्रतिभूतियों पर	-			(क) बिल्स् कलेक्शन एज पर कोन्ट्रा		**-**
825000.00	**(ग) स्टेट रिवोल्वींग फण्ड**	825000.00		133843181.89	**10. शाखा समायोजन**	0.00	**-**
462000000.00	**2 अल्पकालीन ऋण, तिलहन**	443400000.00		14868448.00	**11. अ. बैंक भवन हास कम करते हुए**	16541100.00	**16541100.00**
423500000.00	अल्पकालीन ऋण, (अ.ज.जा)	50,00,00,000.00			**11. ब. बैंक भवनों का पुर्नमुल्यांकन**	350747000.00	**350747000.00**
-	कृषक मित्र योजना	-					
	3 मध्यकालीन ऋण सामान्य			15693293.20	**12. फर्नीचर व फिक्चर्स हास**	11278745.64	**11278745.64**
43900000.00	**(1.) मध्यकालीन ऋण हलधर**				**कम करते हुए**		

		1,84,00,000.00					
250000.00	(1) मध्यकालीन एम.आई.एस फार्म	0.00					
10000000.00	(2) स्वयं सहायता समूह	0.00					
100000000.00	(3) किसान सम्बल योजना	257500000.00			**13. अन्य लेना**		**38138934.56**
-	(ख) अन्य ठोस प्रतिभूतियों पर	-		6,00,610.65	(1) बेचने वाली स्टेशनरी	9,96,421.67	
-	(2.) मध्यकालीन ए.आर. डी. सी.	-		1,630.00	(2) अन्य उपयोग हेतु स्टेशनरी	-	
-	(क) एस0जी0एस0वाई (कृषि)	66,60,000.00					
-	(ख) राजकीय व अन्य स्वीकृत	-					
	प्रतिभूतियों पर						
-	(ग) अन्य ठोस प्रतिभूतियों पर	-					
9419366865.61	**योग आगे ले जाया गया**		**10674354216.57**	**9593583589.03**	**योग आगे ले जाया गया**		**10995114854.73**

गत वर्ष 31.03.14	पूंजी एवं दंनदारियां	चालू वर्ष 31.03.2015		गत वर्ष 31.03.14	सम्पत्ति एवं लेनदारियां	चालू वर्ष 31.03.2015	
9419366865.61	**पिछला योग**		**10674354216.57**	**9593583589.03**	**पिछला योग**		**10995114854.73**
-	(3.) अकृषि ऋण (सम्मिश्र) स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड	-					
-	(4.) स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना	-		27175569.12	(3) विविध उधार	30045384.19	
-	**(5.) मध्यकालीन परिवर्तित ऋण**			1108.00	(4) पुस्तकालय	997.00	
-	(क) अल्पकालीन	3,32,73,000.00		-	(5) वाहन खाता	-	
-	(ख) अल्पकालीन तिलहन	-		-	(6) इन्कम—टेक्स रिसिवेबल	-	
-	(ग) अल्पकालीन अ0ज0जा0	-		1081697.88	(7) सुपरवाईजरी फण्ड़ खाता	1081697.88	
-	(6.) मध्यकालीन पुनपरिवर्तित ऋण	-		5182705.02	(8) ऋण राहत क्लेम	5182705.02	
	4. दीर्घकालीन ऋण			-	(9)सरकार/नाबार्ड से 2 प्र0 ब्याज प्राप्य	-	
-	(1) एन.ओ.डी.सी. ऋण	-		-	(10) फववारा पर प्राप्ति योग्य अनुदान	-	

	5. फार्म / नोन फार्म सेक्टर			-	(11) भारत सरकार से कृषि ऋण माफी व	-	
61,30,667.66	(1) एनसीडीसी निगम जयपुर	71,82,371.66			ऋण राहत योजना की बकाया राशि		
-	(2) एन. एफ. एस. इन्टीग्रेटेड़	-		1402784.80	(12) भारत सरकार से 3 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी	831728.80	
-	(3) एन. एफ. एस. लुघुभार वाहन	-		-	(13) भारत सरकार से 2 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी	-	
9,43,225.00	(4) फार्म सेक्टर डैयरी विकास	1,71,875.00		-	(14) रिलिफ फण्ड भारत सरकार 25 प्रतिशत	-	
-	(5) ग्रामीण आवास ऋण	-					
-	(6) फार्म मेकेनाइजेशन ट्रेक्टर	-		38777688.00	14. स्टाफ समूह ग्रेच्यूटी बीमा	30407202.00	**30407202.00**
-	(7) राज्य सरकार से	-		21469674.00	15. स्टाफ समूह लीव इन केशमेन्ट बीमा	20020962.00	**20020962.00**
1,82,28,781.55	(8) शीर्ष बैंक का अधिविकर्ष (जयपुर)	-					
-	(9) शीर्ष बैंक, उदयपुर अधिविकर्ष	-					
67,25,000.00	(10) आईसीडीपी ऋण	47,75,000.00					
0.00	**6. शाखा समायोजन**	20319938.80	**20319938.80**				
67366626.14	**7. अवधिपार सुरक्षित ब्याज (प्रावधान)**	72345797.14	**72345797.14**				
11416513.00	**8. अवधिपार ब्याज ए.आर.डी.आर.**	11416513.00	**11416513.00**				
	9 चुकाने योग्य ब्याज						
18070156.73	(1) अमानतों पर	139977202.77	**139977202.77**				
9548247835.69	**योग आगे ले जाया गया**		**10918413668.28**	**9688674815.85**	**योग आगे ले जाया गया**		**11045543018.73**

वार्षिक प्रतिवेदन 2014—15

गत वर्ष 31.03.14	पूंजी एवं दंनदारियां	चालू वर्ष 31.03.2015		गत वर्ष 31.03.14	सम्पत्ति एवं लेनदारियां	चालू वर्ष 31.03.2015	
9548247835.69	**पिछला योग**		**10918413668.28**	**9688674815.85**	**पिछला योग**		**11045543018.73**
	10. अन्य देनदारियां		**45863221.86**		15. लाभ–हानि		**-**
-	(1.) चुकाने योग्य बिल	-			पिछले संतुलन चित्र के अनुसार		
-	(2.) अनक्लेम्ड़ डिविडेन्ड	-			इस वर्ष का		
23542964.08	(3) सन्ड्री क्रेडिटर्स	30583279.21					
3,06,73,000.00	(4) हिस्सा प्रार्थना पत्र राशि	-					
818873.24	(5) भूगतान योग्य ड्राफ्ट	771578.24					
30,933.00	(6) फेमिली पेंशन	84,771.00					
7,61,269.00	(7) क्षेत्रीय–भविष्य निधि आयुक्त	8,50,153.00					
	को देय						
-	(8) गोडाउन्स् हेतु जमा सिक्योरिटी व	-					
	अर्नेस्ट मनी						
13669524.41	(9) अनुदान (सब्सिड़ी)	13234553.41					
	(10) एसएचजी प्रोमोटिंग इन्सटिट्यूट	338887.00					
	11. इन्टरेस्ट नोट कलेक्टेड	3568980.11	**3568980.11**				
	12. लाभ–हानि						
70930416.43	सचित लाभ	77697148.48	**77697148.48**				
9688674815.85	**योग**		**11045543018.73**	**9688674815.85**	**योग**		**11045543018.73**

(आर.के.भण्डारी)
अंकेक्षक
आर. के. भण्डारी एण्ड एसोसिऐट्स
चार्टेड एकाउन्टेंट

(पारस कुमार जैन)
प्रबंधक (प्रशा.)

(आलोक चौधरी)
प्रबंध निदेशक

(वेदप्रकाश)
प्रशासक एवं जिला कलक्टर